बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242348 (फैक्स)
email: dm-siwan.bih@nic.in

जिला पदाधिकारी, सीवान की अध्यक्षता में दिनांक–18.06..2018 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समन्वय (Coordination) बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति:– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विभागवार कार्य की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार की गई :–

1.1–विधि शाखा– बताया गया कि वर्त्तमान में एम0जे0सी0 का 07 मामला लंबित है।

क्र0	एम0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	एम0जे0सी0 नं0– /18 दीनानाथ शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	सिविल सर्जन, सीवान	सिविल सर्जन, सीवान द्वारा बताया गया कि यह मामला प्रोन्नति से संबंधित है। निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व Show Cause तैयार कराकर जिला विधि शाखा को उपलब्ध करायें, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। **(अनु0–सिविल सर्जन, सीवान)**
2	एम0जे0सी0 नं0– /18 विद्याभूषण प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचलाधिकारी, हुसैनगंज	बताया गया कि यह मामला अंचल अधिकारी, हुसैनगंज से संबंधित है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, हुसैनगंज को निदेश दिया गया कि शीघ्र Show Cause विधि शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें **(अनु0–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, हुसैनगंज)**
3	एम0जे0सी0 नं0– /18 ध्रुवशंकर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचल अधिकारी, महाराजगंज	प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी से Show Cause प्राप्त हुआ था, जिसे सुधार हेतु वापस किया गया है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, महाराजगंज को निदेश दिया गया कि शीघ्र Show Cause विधि शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें **(अनु0–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, महाराजगंज)**
4	एम0जे0सी0 नं0– /18 राबिया खातून एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को निदेश दिया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित करेंगे कि बैठक में भाग लेने के उपरांत दिनांक 18.06.18 के संध्या को अपने विभाग से संबंधित मामलों के बारे में अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। **(अनु0–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना)**
5	एम0जे0सी0 नं0– /18 बलिन्द्र कुँवर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	
6	एम0जे0सी0 नं0– /18 शेख अब्दुल मनान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	
7	एम0जे0सी0 नं0– /18 नीलम कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	

1.2–यह भी बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय–सीमा के अंदर एस0ओ0एफ0 दाखिल किया जाना है :–

क्र0	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0'1997/2018 इमरान खान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचल अधिकारी, बड़हरिया	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार कर अंचलाधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीवान को भेज दिया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीवान सदर को निदेश दिया गया कि कि शीघ्र एस0ओ0एफ0 विधि शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें **(अनु0–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सीवान सदर)**
2	सी0डब्लू0जे0सी0नं0– /2018 नंद लाल प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचल अधिकारी, मैरवा	बताया गया कि इसमें दिनांक–23.0418 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। अंचलधिकारी,मैरवा से अभी तक एस0ओ0एफ0 प्राप्त नहीं होने पर जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया और वरीय प्रभारी पदाधिकारी,मैरवा प्रखण्ड को इसे तुरंत भेजवाने का निदेश दिया गया। **(अनु0–वरीय प्रभारी पदाधिकारी,मैरवा प्रखण्ड)**

3	सी0डब्लूजे0सी0 नं0–/2018 नंदकिशोरी देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान	बताया गया कि इसमें दिनांक–13.0418 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि इसमें काफी विलम्ब हो चुका है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान)**
4	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–7019/2018 बृजकिशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	बताया गया कि इसमें दिनांक–27.0418 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान)**
5	सी0डब्लू0जे0सी0नं0–7691/2018 धर्मनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	कार्यपालक अभियन्ता, पी0एच0ई0डी0, सीवान	बताया गया कि इसमें दिनांक–27.0418 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है।बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार कर अनुमोदन हेतु विभाग को भेजा गया है,लेकिन अभीतक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें विभाग से सम्पर्क कर अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–कार्य0 अभि0,लोक स्वा0अभि0 प्रखण्ड,सीवान)**

1.3–विभिन्न न्यायालय स्तर से प्राप्त (एम0एम0) महत्वपूर्ण सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय–सीमा के अंदर एस0ओ0एफ0 दाखिल किया जाना है :–

1	Chitranjan Sinha, Senior Adv. Principal Additional Advocate General No. 2, Patna High court	पत्रांक 1067 दि0 31.01.18	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–3522/16 विकासचन्द्र गुड्डू बाबा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	राजस्व/स्वास्थ्य/नगर परिषद्	सिविल सर्जन, सीवान द्वारा बताया गया कि नगर परिषद्, सीवान के प्रतिवेदन के आधार पर एस0ओ0एफ0 तैयार करा लिया गया है। वर्त्तमान में माननीय उच्च न्यायालय ग्रीष्मावकाश के कारण बन्द है। जिलाधिकारी द्वारा 2 दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। **(अनु0–सिविल सर्जन,सीवान)**

जिलाधिकारी द्वारा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डो के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे नियमित रुप से लंबित एम0जे0सी0/सी0डब्ल0जे0सी0 के मामलो की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल हो जाय। साथ ही अपने–अपने विभाग से संबंधित लंबित एम0जे0सी0/सी0डब्ल0जे0सी0 की सूची रखें एवं तत्परता के साथ उसका निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। **(अनु0–सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी)**

2–लोक शिकायत निवारण :– बताया गया कि जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय स्तर से 01 मामला को विस्तारित किया गया है, जो पोर्टल पर दिख रहा है और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, महाराजगंज द्वारा भी 01 आवेदन को विस्तार किया गया है, किन्तु पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि इसका समाधान अविलम्ब करायें। **(अनु0–अपर समाहर्त्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान)**

3–आर0टी0पी0एस0– स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 23 मामले (प्रखण्ड रघुनाथपुर–12, दरौंदा–03, मैरवा–03, आन्दर–01, बसंतपुर–01, गोरेयाकोठी–01, लकड़ी नवीगंज–01 एवं पचरूखी–01) कालबाधित हुए हैं। जिलाधिकारी सामाजिक सुरक्षा के मामलो के लगातार कालबाधित होने पर असंतोष व्यक्त किया गया और अनुमण्डल पदाधिकारियों को इन मामलो को स्वतः अपील में लेते हुए कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर/महाराजगंज)**

4–विद्युत :– बताया गया कि विद्युत विभाग का विडियो कान्फ्रेंसिंग चल रहा है। इसलिए कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, सीवान अनुपस्थित हैं। निदेश दिया गया कि बैठक के पश्चात् विद्युत विभाग के कार्यों का अलग से समीक्षा की जायेगी। **(अनु0–कार्यप0अभियन्ता,विद्युत,सीवान)**

5–सहकारिता– जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक 80 प्रतिशत सी0एम0आर0 ही प्राप्त हुआ है। गेहूँ की खरीदारी मात्र 159 एम0टी0 हुआ है। 235 किसानों का निबंधन हुआ है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब गेहूँ के क्रय में गति लायें। सभी निबंधित किसानों से गेहूँ क्रय करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी क्रय केन्द्र क्रियाशील रहे। जिलाधिकारी द्वारा 30 जून तक शत–प्रतिशत सी0एम0आर0 प्राप्त करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीवान)**

6–आपूर्त्ति :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी बताया गया कि 99 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव हो गया है। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित समय के अंदर खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0 :–जिला आपूर्ति पदाधिकारी / जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम,सीवान)**

7–कृषि :– समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी छपरा बैठक में भाग लेने हेतु गये हैं, जिसके कारण उनके कार्यो की समीक्षा नहीं हो पायी।

9–निर्वाचन :–

9.1–मतदान केन्द्र का युक्तिकरण– उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को दिनांक 15.06.2018 तक विहित प्रपत्र में मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है और इसका पर्यवेक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। कार्य की प्रगति संतोषजनक नही है। निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत रूचि लेते हुए शीघ्र विहित प्रपत्र में मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(अनु0–सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सीवान)**

9.2–निर्वाचक सूची का भौतिक सत्यापन :–उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गृहवार निर्वाचकों का भौतिक सत्यापन कर दिनांक 20.06.2018 तक प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(अनु0–सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सीवान)**

9.3–दिव्यांगजनों से संबंधित प्रतिवेदन :– उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विधान सभा क्षेत्रवार दिव्यांगजनों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था परन्तु अब तक अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(अनु0–सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सीवान)**

9.4– ELC (Electoral Literacy Club) :– उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में दिनांक 26.05.2018 को सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है एवं का गठन भी हो गया है।

10–खनन :– खनन निरीक्षक, सीवान द्वारा बताया गया कि डिपो में बालू उपलब्ध नहीं है और जिन ईंट भट्ठा मालिक द्वारा खनन टैक्स जमा नहीं किये हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

11–मध्याह्न भोजन योजना :– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा बताया गया कि पोर्टल पर आई0भी0आर0एस0 का ऑनलाईन प्रतिवेदन प्रदर्शित नहीं कर रहा है, जिसके कारण उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं है। निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बन्द न हो। **(अनु0–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना सीवान)**

12–बाढ़ नियंत्रणः–कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, सीवान द्वारा बताया गया कि दरौली तटबंध का जल स्तर 57.25 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 60.82 मीटर पर है। सिसवन तटबंध का जल स्तर 51.74 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 57.04 मीटर पर है। तटबंधों का निरीक्षण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि बाढ़ पूर्व आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी को निदेश दिया गया कि दिनांक 18.06. 2018 तक सभी चिन्हित तटबंधों पर गृह रक्षा वाहिनी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करें। **(अनु0–समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी / कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल,सीवान)**

13–विविधः–

1– वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दरौली में विद्युत कनेक्शन के लिए एक माह पूर्व राशि जमा की गई है लेकिन अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाया है। इसी तरह जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीवान द्वारा बताया गया कि बड़हरिया के खाद्य गोदाम का विद्युत कनेक्सन काट दिया गया है एवं मैरवा खाद्य गोदाम में विद्युत कनेक्सन नहीं है जबकि उसके लिए राशि जमा कर दी गई है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियन्ता को सरकारी विभागों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कार्यप0अभियन्ता,विद्युत,सीवान)

2–जिला अवर निबंधक, सीवान द्वारा बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0...../2017 शैलेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य जमाबंदी नहीं होने से संबंधित मामला है। उक्त वाद में अनुमोदन हेतु भवदीय के पास भेजा गया है। निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारी, आन्दर से सम्पर्क कर अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **(अनु0–उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सीवान)**

3–जिला अवर निबंधक, सीवान द्वारा बताया गया कि आन्दर प्रखण्ड के सी0डब्ल्यू0जे0सी0...../2017 मुरलीधर मिश्रा का आई0सी0डी0एस0 से संबंधित मामला है। इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि Oath ले लिया गया है। निदेश दिया गया कि शीघ्र ओथ नं0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(अनु0–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, सीवान)**

4–निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बताया गया कि बिहार दिवस, 2018 के अवसर पर गाँधी मैदान, सीवान में विभिन्न विभागों यथा जीविका, उत्पाद, बाल संरक्षण, पी0एच0ई0डी0, डि0आर0सी0सी0, शिक्षा, बैंकिंग, कल्याण, विद्युत, उद्योग, श्रम, राजस्व, स्वास्थ्य, रेडक्रॉस एवं सामाजिक सुरक्षा को स्टॉल लगाने के लिए जगह दी गई थी और उसके लिए उन्हें प्रति स्टॉल 4000 रु0 का भुगतान करना था, लेकिन कतिपय विभाग को छोड़ कर अन्य किसी विभाग द्वारा उक्त राशि जमा नहीं की गई है। जिलाधिकारी द्वारा अन्य पदाधिकारियों को अपने विभाग से सम्बंधित राशि तुरंत जमा करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–सम्बंधित पदाधिकारी)**

5–जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेशानुसार जिला मुख्यालय में सहकार भवन का निर्माण किया जाना है, इसके लिए 5000 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता है। साथ ही जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड मुख्यालय में राज्य खाद्य निगम का मुख्यालय भवन बनाया जाना है। उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार संबंधित अंचलाधिकारी से सम्पर्क कर विधिवत तरीके से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **(अनु0– उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सीवान सदर)**

6–जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सात निश्चय योजना अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं यथा–हर घर नल का जल एवं घर तक पक्की गली–नाली योजनाओं की जाँच केलिए प्रखण्डवार उड़नदस्ता दल का गठन किया गया था, जिसमें दिनांक 15.06.2018 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था परन्तु नवतन, भगवानपुर हाट प्रखण्डों को छोड़कर शेष प्रखण्डों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस संबंध में अधिकांश पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि संबंधित अभियंता नहीं रहने के कारण जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 19.06.2018 के संध्या तक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(अनु0– संबंधित पदाधिकारी)**

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
जिलाधिकारी,सीवान

ज्ञाप सं0–1574/सी0 दिनांक– 19 वीं जून, 2018 ई0

प्रतिलिपि:–उप विकास आयुक्त,सीवान/अपर समाहर्ता,सीवान/निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सीवान/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,सीवान/सिविल सर्जन,सीवान/ सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान,महाराजगंज/भूमि सुधार उप समाहर्ता,सीवान,महाराजगंज/समाहरणालय की सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/महाराजगंज/ कोषागार पदाधिकारी,सीवान/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आई0टी0मैनेजर,सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

19.06.18

जिलाधिकारी,सीवान